

INDIA NON JUDICIAL

e-Stamp

License No.- 336/2018

Government of Uttarakhand Jasour (U.S. Nagar



सत्यमेव जयते

IN-UK00697003321617S

04-Dec-2020 12:51 PM

NONACC (SV)/ uk1292104/ JASPUR/ UK-UN

SUBIN-UKUK129210404704817779106S

ANIL KUMAR

Article 35 Lease

VILL KISHANPUR TEHSIL JASPUR JASPUR DISTRICT UDHAM

SINGH NAGAR

(Zero)

ANIL KUMAR AND NIPENDRA KUMAR

ANIL KUMAR

ANIL KUMAR

1,000

(One Thousand only)

Certificate No.

Certificate Issued Date

Account Reference

Unique Doc. Reference

Purchased by

Description of Document

Property Description

Consideration Price (Rs.)

First Party

Second Party

Stamp Duty Paid By

Stamp Duty Amount(Rs.)

Please write or type below this line---





0001869926

- nus of checking the legitimacy is on the users of the certificate

लीज डीड/किरायानामा

अवधि—30 वर्ष यानि 30 वर्ष से अनिधक । दिनांक—04—12—2020 से दिनांक—04—12—2050तक। औसत वार्षिक किराया—6,000/—रूपये ,स्टाम्प शुल्क—1000/—रूपये ई— स्टाम्प सर्टिफिकेट नम्बर —IN-UK006970033216178 दिनाक 04.12.2020 को जारी किया गया है।

विवरण आराजी:-

1— यह कि प्रथम पक्षगण का एक स्कूल भवन बाक मोजा किशनपुर तहसील जसपुर जिला उधम सिंह नगर में स्थित है जिसका खसरा सं0—541,5423,542ब,543मिन कुल रक्वा—1.074हैं यानि 10740 वर्ग मीटर, जिसके भूतल पर कक्षा कक्ष, स्कूल कार्यालय, लेटरीन, बाथरूम एवं प्रथम तल पर कक्षा कक्ष व एक हाल बना है जिसका अच्छादित क्षेत्रफल 1200 वर्ग मीटर है तथा खेल का मैदान है। उक्त सम्पत्ति के चारों तरफ बाउन्ड्री वाल है। जो कि जसपुर नगर पालिका के सीमा के बाहर है। आराजी मुबैइया की सीमायें— पूरब में नदी, पश्चिम में चकरोड़ 13 फिट चौड़ी, उत्तर में आराजी दीगर शख्स, दक्षिण में आराजी आर0 एल0 एस0 डिग्री कालेज है। उक्त आराजी को 30 वर्ष की अवधिमान 30 वर्ष से अनिधक अवधि लिये आज की तारीख से किराये पर देने को सहमत है।

2—यह कि उक्त आराजी को लीज / किराये पर दिये जाने के समस्त अधिकार प्रथम पक्षगण (आराजी स्वामी) के पास सुरक्षित है तथा उक्त आराजी आज दिनांक तक हर प्रकार से भार मुक्त है।

3-यह कि पट्टा ग्रहीता उक्त भवन शिक्षण कार्य हेतु प्रयोग में लायेंगे।

4—यह कि उक्त आराजी को 30 वर्ष की अवधि से अनधिक के लिये आज की तारीख से किराये पर देने को सहमत है।

5—यह कि उपरोक्त आराजी का वार्षिक किराया द्वितीय पक्ष (लीज ग्रहीता) प्रथम पक्ष (आराजी स्वामी) को प्रति वर्ष अदा करता रहेगा।

Anil chales

Khenlan

Anil chaler

बही संख्या 1 रजिस्ट्रीकरण संख्या 2816 वर्ष 2020

Lease

Lease(Not exceeding 30 years)

नजराना रु0: 0.00

औसत वार्षिक

किराया रु0: 0.00

इलेक्टानिक प्रोसेसिंग शुल्क

शब्द लगभग

रजिस्ट्रेशन शुल्क ₹0 460.00

प्रतिलिपि शुल्क ₹0 100.00

₹0 140.00

₹0 700.00

2,000

श्री संस्कार एडुकेशन सोसाइटी गौतम नगर बैंक कॉलोनी काशीपुर द्वारा सचिव श्री अनिल कुमार पुत्र श्री हरफूल सिंह निवासी गौतम नगर बैंक कॉलोनी काशीपुर तहसील काशीपुर ने आज दिनांक 04 Dec 2020 समय मध्य 2PM व 3PM को कार्यालय उपनिबन्धक जसपुर में प्रस्तुत किया ।

संस्कार एडुकेशन सोसाइटी गौतम नगर बैंक कॉलोनी काशीपर द्वारा सचिव श्री अनिल कमार

04-Dec-2020

इस लेख पत्र का निष्पादन विलेख में लिखित तथ्यों को सुन व समझकर श्री अनिल कुमार पुत्र श्री हरफूल सिंह निवासी गौतम नगर बैंक कॉलोनी काशीपुर तहसील काशीपुर \ श्री नृपेन्द्र कुमार पुत्र श्री हरफूल सिंह निवासी गौतम नगर बैंक कॉलोनी काशीपुर तहसील काशीपुर \ ने नजराना मुबलिग रु0 0.00 प्रलेखानुसार पाकर निष्पादन स्वीकार किया । इस लेखपत्र का निष्पादन द्वितीय पक्ष श्री संस्कार एडुकेशन सोसाइटी गौतम नगर बैंक कॉलोनी काशीपुर द्वारा सचिव श्री अनिल कुमार पुत्र श्री हरफूल सिंह निवासी गौतम नगर बैंक कॉलोनी काशीपुर तहसील काशीपुर \ ने भी स्वीकार किया।

श्री कमल पुत्र श्री भोला सिंह निवासी ग्राम महुवाडाबरा जसपुर जिनकी पहचान निवासी तहसील परिसर तहसील जसपुर तथा श्री अंकित वर्मा पुत्र श्री विनय वर्मा

जसपर ने की।

जसपुर 04-Dec-2020 6—यह कि द्वितीय पक्ष (लीज ग्रहीता) अपने स्कूल संचालन के लिये अगर किसी सरकारी, अर्द्धसरकारी बैंक वित्तीय संस्था आदि से ऋण प्राप्त करना चाहता है तो वह लीज शुदा जायदाद को बंधक रखने के सिवाय लीजशुदा जायदाद में वर्णित समपत्ति में स्थापित अपनी उक्त परिसमपत्ति के बदले ऋण प्राप्त कर सकेगा, लेकिन लीज अवधि समाप्त होने पर आराजी को हर प्रकार से भार मुक्त तथा यथा स्थिति करवाकर देने की जिम्मेदारी द्वितीय पक्षगण (लीज ग्रहीता) की होगी।

7—यह कि उपरोक्त किरायेदारी की अवधि के दौरान स्कूल न चल पाने की स्थिति में अथवा बैंक ऋण बकाया रहने की स्थिति में किरायानामा निरस्त किया जा सकेगा।

8—यह कि लीज कि अवधि समाप्त हो जाने के उपरान्त द्वितीय पक्ष (लीज ग्रहीजा) उपरोक्त आराजी जिस स्थिति में ली गयी है उसी स्थिति में प्रथम पक्ष (आराजी स्वामी) को शान्तिपूर्ण ढंग से वापिस कर देगा।

9—यह कि किरायेनामें को किसी भी अनुबंध का पालन न करने अथवा नियत अवधि पर तीन माह तक किराया अदा न करने की स्थिति में प्रथम पक्ष (आराजी स्वामी) को यह अधिकार प्राप्त होगा कि वह द्वितीय पक्ष के विरूद्ध नोटिस देकर बेदखली की कार्यवाही प्रारम्भ कर दे और किराया अदा हो जाने की स्थिति में बेदखली की कार्यवाही स्वतः समाप्त हो जायेगी।

10—यह कि समय अवधि समाप्त हो जाने के उपरान्त यदि प्रथम पक्ष (आराजी स्वामी) द्वितीय पक्ष (लीज ग्रहीतागण) की लीज आगामी अवधि के लिये रखना चाहेगा तो वह लीज डीड की किसी भी अनुबंध को बदल कर अथवा नई लीज डीड निष्पादित कर लीज पर दे सकेगा।

11— यह कि द्वितीय पक्ष (लीज ग्रहीता) को किसी अन्य को अपनी इच्छा से सबलैट(SUBLET) करने का अधिकार न होगा।

12—यह कि उक्त आराजी में किसी भी प्रकार का निर्माण द्वितीय पक्ष को करने का पूर्ण अधिकार होगा तथा उक्त आराजी को द्वितीय पक्ष (लीज ग्रहीता) अपनी सुविधाअनुसार इस्तमाल करने का पूर्ण अधिकार होगा।

13—यह कि लीज शुदा आराजी पर कृषि कार्य नहीं हो रहा है निर्माण है तथा विद्यालय संचालित है, तथा उक्त आराजी में निर्माण का स्थलीय फोटो विलेख के साथ संलग्न है।

14—यह कि उक्त आराजी में द्वितीय पक्ष (लीज ग्रहीता) को बिजली का कनैक्शन अपने नाम से लेने का हक व उसका बिल अदा करने का अधिकार एवं अन्य विभागो में प्रार्थना पत्र आदि देने का अधिकार होगा जिसमें प्रथम पक्ष को कोई एतराज नहीं होगा।

Avil daler

Klinhan

Anil chaler

बही संख्या 1 रजिस्ट्रीकरण संख्या 2816 वर्ष 2020



प्रतिज्ञ एवं साक्षीगण भद्र प्रतीत होते हैं। सभी के अंगुष्ठ चिन्ह नियमानुसार लिये गये हैं।

अंकित वर्मा

रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी / उप-निबंधक, जसपुर 04 Dec 2020

अतः यह अमिलेख लीज डीड/किरायानामा आज दिनांक 04-12-2020 को प्रथम पक्ष (आराजी स्वामी) एवं द्वितीय पक्ष (आराजी ग्रहीता) ने उपरोक्तानुसार हस्ताक्षर कर स्थान जसपुर में निम्न गवाहों के समक्ष निष्पादित किया। इस अभिलेख लीज डीड / किरायानामा का मूल द्वितीय पक्षगण के पास रहेगा तथा इसकी प्रतिलिपि प्रथम पक्ष के पास रहेगी। पक्षकारो के कथन एवं प्रस्तुत अभिलेख के आधार पर आलेख।


Anil charles (Musuka)

Anilchaler

गवाह - कमल पुत्र श्री भोला सिंह निवासी ग्राम महुवाडाबरा, तहसील जसपुर जिला उधमसिंहनगर, आधार कार्ड सं0- 2391 7659 2771

गवाह - अंकित वर्मा एडवोकेट जसपुर

ड्राफ्टेड बाई- अंकित वर्मा एडवोकेट जसपुर दिनांक-04-12-2020ई0।





Anil chales

Phanlas

बही संख्या 1 जिल्द 924 के पृष्ठ 85 से 98 पर क्रमांक 2816 पर आज दिनांक 04 Dec 2020 को रजिस्ट्रीकरण किया गया।

रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी /

जिस्ट्रीकर्ता अधिकारी / उप-निबंधक,जसपुर 04 Dec 2020

